2018/00096

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी–यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद सं. 486 / 2019

वादीगण

1. दिलीप कुमार पुत्र इन्द्रनाथ
   उर्फ रखजी व्यास
   जाति–ब्राह्मण
   निवासी–मधुजी की बेरी के पास फलोदी
2. मीना पुत्री इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास
   पत्नि हरिगोपाल थानवी
   जाति–ब्राह्मण
   निवासी–मोहन छंगाणी नगर फलोदी
3. प्रेमलता पुत्री इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास
   पत्नि हरिशंकर उर्फ नटुजी थानवी
   जाति–ब्राह्मण
   निवासी–फलोदी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास
   पुत्र मोहनलाल (फौत)
2. नटवरलाल पुत्र इन्द्रनाथ
   उर्फ रखजी व्यास
   जाति–ब्राह्मण
   निवासी–मधुजी की बेरी के पास
   फलोदी
3. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे.
   शाखा–फलोदी
4. तहसीलदार फलोदी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री रेंवतसिंह पातावत वादीगण की तरफ से
2. श्री दिलीप थानवी प्रतिवादी सं. 2 की तरफ से

निर्णय

दिनांक 04.08.2020

उनवान प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 11–10–2019 से प्रतिप्रेषित होकर आने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया। प्रतिप्रेषित आदेश में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाने, जवाबदावा प्रस्तुत होने पर विधिवत तनकीयात कायम की जाकर नियमानुसार पक्षकारान से साक्ष्य ली जाने और तत्पश्चात तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए गुणावगुण के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित किया जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वादीगण के वाद का सारांश यह है कि कृषि भूमि खसरा सं. 143 रकबा 54 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सं. 638 रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा ग्राम मलार तहसील फलोदी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी बताते हुए अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 एक इन्द्रनाथ के नाम से खातेदारी में दर्ज होना और वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 2 नटवरलाल को पुश्तैनी वादग्रस्त काश्त भूमि में जन्म से बतौर सहदायिक हक हिस्सा होना बताकर वादीगण को सहहिस्सेदार काश्तकार घोषित करने, बंटवाड़ा और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने [illegible] का वाद के लिए पेश किया गया है। वादीगण द्वारा धारा 53 राजस्थान [illegible] वादीगण का विचारण के दरम्यान विड्रो करने के प्रार्थना [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 19:16:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक [illegible]
(फास्ट ट्रैक) फलो[illegible]

नही करवाई जाने से यह तनकी प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध और वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5 प्रतिवादी सं. 2 के जिम्मे रखी गई थी प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा किसी निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पारित करवाकर खातेदारी में दर्ज करवाने के बाबत कोई दस्तावेजी एवं जुबानी साक्ष्य से साबित नहीं करवाई जाने से यह तनकी प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध और वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 6 दादरसी के बाबत है वादीगण के वाद में तनकी सं. 1 वादीगण को और प्रतिवादी सं. 2 को उनके पिता प्रतिवादी सं. 1 इन्द्रनाथ के साथ सहहिस्सेदार घोषित करने के बाबत थी प्रतिवादी सं. 1 इन्द्रनाथ का देहान्त हो चुका है वादीगण एवं प्रतिवादी सं 2 इन्द्रनाथ के विधिक उत्तरजीवी है तनकी सं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाने से वादीगण का वाद बाबत घोषणा का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश

वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम मलार के खसरा सं. 143 रकबा 54 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सं. 638 रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा कुल 81 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है तहसीलदार इसी माफिक राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

यशपाल अहूजा (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलोदी

फास्ट ट्रेक ... जिला ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 19:16:42 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादीगण — बनाम — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. दिलीप कुमार पुत्र इन्द्रनाथ
   उर्फ रखजी व्यास
   जाति–ब्राह्मण
   निवासी–मधुजी की बेरी के पास फलोदी
2. मीना पुत्री इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास
   पत्नि हरिगोपाल थानवी
   जाति–ब्राह्मण
   निवासी–मोहन छंगाणी नगर फलोदी
3. प्रेमलता पुत्री इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास
   पत्नि हरिशंकर उर्फ नटुजी थानवी
   जाति–ब्राह्मण
   निवासी–फलोदी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास
   पुत्र मोहनलाल (फौत)
2. नटवरलाल पुत्र इन्द्रनाथ
   उर्फ रखजी व्यास
   जाति–ब्राह्मण
   निवासी–मधुजी की बेरी के पास
   फलोदी
3. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे.
   शाखा–फलोदी
4. तहसीलदार फलोदी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद सं. 486/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल डिक्री जारी की जाकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम मलार के खसरा सं. 143 रकबा 54 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सं. 638 रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा कुल 81 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार काबिज होना घोषित किया जाता है तहसीलदार इसी माफिक राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर — फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 08 सन् 2020 जारी की गई।

हस्ताक्षर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
य अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प		
य वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
य वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
ताना वकील			मेहनताना वकील		
गवाहान			खर्चा गवाहान		
कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
त् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मिजान			मिजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 19:16:42 IST
Reason: SelfAttested